NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 05-12-2025

विषय सूची

» उन्नत जैवईंधन उत्पादन को तीव्र करने के लिए पीएम जी-वन योजना का विस्तार
» फेक न्यूज़' की परिभाषा तय करें, कार्रवाई हेतु दंड प्रावधानों में संशोधन करें: संसदीय समिति
» अंटार्कटिक ओज़ोन छिद्र 2025 में समय पूर्व बंद
» कर्नाटक का घृणास्पद भाषण और घृणा अपराध (निवारण) विधेयक
» BNHS असम में दो गिद्ध प्रजातियों को पुनः स्थापित करेगा

संक्षिप्त समाचार

» महाड सत्याग्रह
» तुर्किये का "स्टोन हिल्स" प्रोजेक्ट
» RELOS समझौता
» डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एवं यूनिक वर्चुअल एड्रेस (DHRUVA)
» कुष्ठ रोग
» श्वसन योग्य सूक्ष्मप्लास्टिक (iMPs)
» लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क
» भारत में आक्रामक विदेशी पौधे
» विश्व मृदा दिवस
» कूनो राष्ट्रीय उद्यान (KNP)

उन्नत जैवईंधन उत्पादन को तीव्र करने के लिए पीएम जी-वन योजना का विस्तार

संदर्भ

- हाल ही में, केंद्र सरकार ने **प्रधान मंत्री जैव ईंधन–वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण (JI-VAN) योजना** के दायरे और समयसीमा का विस्तार किया है, जिससे सतत विकास एवं ऊर्जा सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पुनः पुष्ट किया है।

पीएम जी-वन एवं इसके 2024 उन्नयन

- इसे 2019 में **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MoP&NG)** के अंतर्गत शुरू किया गया था।
  - इसका क्रियान्वयन **सेंटर फॉर हाई टेक्नोलॉजी (CHT)** द्वारा किया जाता है, जो MoP&NG के अधीन कार्यरत है।

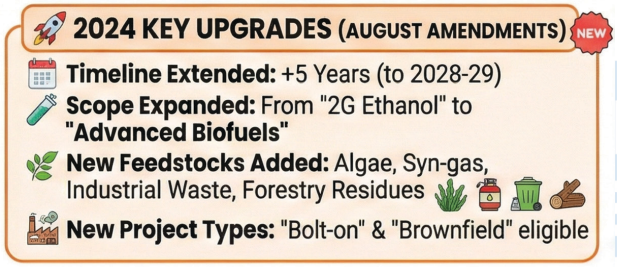

- **वित्तीय प्रावधान: ₹1,950 करोड़ (कुल आवंटन)**
  - ₹1,800 करोड़ – 12 वाणिज्यिक स्तर की परियोजनाओं के लिए
  - ₹150 करोड़ – 10 प्रदर्शन स्तर की परियोजनाओं के लिए
- **सहायता तंत्र:** परियोजनाओं को वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य बनाने हेतु *वायबिलिटी गैप फंडिंग* और *पूंजी सहायता* प्रदान की जाती है।

योजना के उद्देश्य

- लिग्नोसेलुलोसिक बायोमास और अन्य नवीकरणीय फीडस्टॉक्स का उपयोग कर वाणिज्यिक एवं प्रदर्शन स्तर की उन्नत जैव ईंधन परियोजनाओं की स्थापना।
- किसानों को कृषि अवशेषों के लिए लाभकारी आय प्रदान करना, जो अन्यथा अनुपयोगी हो जाते।
- ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित करना।
- पराली जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण को कम करना तथा नगरपालिका ठोस अपशिष्ट से होने वाली मृदा एवं जल प्रदूषण को घटाना।
- **स्वच्छ भारत मिशन** में योगदान देना और **एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (EBP) कार्यक्रम** को समर्थन देना।
- भारत की कच्चे तेल आयात पर निर्भरता कम करना और राष्ट्रीय जलवायु लक्ष्यों को समर्थन देना।

पीएम जी-वन के अंतर्गत प्रमुख जैव ईंधन परियोजनाएँ

- **द्वितीय पीढ़ी (2G) बायो-एथेनॉल परियोजनाएँ:**
  - इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) ने हरियाणा के पानीपत में धान की पराली आधारित फीडस्टॉक बायो-एथेनॉल परियोजना स्थापित की है।
  - असम के नुमालीगढ़ में नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने *असम बायो-एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड (ABEPL)* के माध्यम से 2G बांस आधारित बायोरिफाइनरी स्थापित की है।
- **तृतीय पीढ़ी (3G) एथेनॉल परियोजना:**
  - IOCL ने पानीपत में एक 3G एथेनॉल संयंत्र चालू किया है, जो रिफाइनरी ऑफ-गैस को फीडस्टॉक के रूप में उपयोग करता है — यह *कार्बन उपयोग में नवाचार* की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

जैव ईंधन विस्तार हेतु नीति ढाँचा

- **राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति (संशोधित 2022)** विविध फीडस्टॉक्स के उपयोग को बढ़ावा देती है, जैसे:
  - क्षतिग्रस्त और अधिशेष खाद्यान्न (टूटा चावल, मक्का, कसावा, सड़े आलू)।
  - कृषि अवशेष (धान की पराली, मक्का के भुट्टे, कपास की डंठल, आरा चूरा, गन्ने का बगास)।
  - गन्ने का रस और शीरा, जिसे *राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति (NBCC)* द्वारा खाद्य सुरक्षा संघर्ष से बचने हेतु नियंत्रित किया जाता है।
- फीडस्टॉक उपयोग को प्रतिवर्ष उपलब्धता, लागत, बाजार मांग और स्थिरता के आधार पर समायोजित किया जाता है।

चीनी और मक्का क्षेत्र पर प्रभाव

- **चीनी क्षेत्र:**
  - चीनी सत्र (SS) 2024–25 में उत्पादन 340 LMT तक पहुँचा, जिसमें से 34 LMT एथेनॉल उत्पादन हेतु मोड़ा गया।
  - घरेलू चीनी मांग 281 LMT रही, और एथेनॉल उत्पादन ने चीनी भंडार को स्थिर करने तथा गन्ना किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने में सहायता की।
- **मक्का उत्पादन वृद्धि:**
  - मक्का उत्पादन लगभग 30% बढ़ा — 2021–22 में 337.30 LMT से बढ़कर 2024–25 में 443 LMT हो गया।
  - यह वृद्धि सरकार द्वारा धान और गन्ने जैसी जल-गहन फसलों से *फसल विविधीकरण* को प्रोत्साहित करने से संभव हुई।

एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (EBP) कार्यक्रम की उपलब्धियाँ

- **एथेनॉल आपूर्ति वर्ष (ESY) 2014–15 से अक्टूबर 2025 तक:**
  - किसानों को ₹1,36,300 करोड़ से अधिक का भुगतान।
  - ₹1,55,000 करोड़ से अधिक का विदेशी मुद्रा बचत।
  - लगभग 790 लाख मीट्रिक टन CO_2 की शुद्ध कमी।
  - 260 LMT से अधिक कच्चे तेल आयात का प्रतिस्थापन।

निष्कर्ष

- **प्रधान मंत्री जी-वन योजना** भारत की *स्वच्छ ऊर्जा और चक्रीय अर्थव्यवस्था* दृष्टि का आधारस्तंभ है।
- यह किसानों की आजीविका, अपशिष्ट प्रबंधन एवं ऊर्जा सुरक्षा को जोड़कर एक सतत और आत्मनिर्भर जैव ईंधन पारिस्थितिकी तंत्र का मार्ग प्रशस्त करती है।
- यह पहल सहायक नीतियों और तकनीकी नवाचारों के साथ भारत की *निम्न-कार्बन, ऊर्जा-सुरक्षित भविष्य* की यात्रा को सुदृढ़ करती है।

Source: PIB

फेक न्यूज़' की परिभाषा तय करें, कार्रवाई हेतु दंड प्रावधानों में संशोधन करें: संसदीय समिति

संदर्भ

- संचार और आईटी पर संसदीय स्थायी समिति ने **"फेक न्यूज़ पर अंकुश लगाने की व्यवस्था की समीक्षा"** शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की।

प्रमुख बिंदु

- **फेक न्यूज़ की परिभाषा:** समिति ने सरकार से 'फेक न्यूज़' शब्द को परिभाषित करने और वर्तमान नियामक ढाँचे में उपयुक्त प्रावधान शामिल करने का आग्रह किया है ताकि गलत सूचना पर अंकुश लगाया जा सके और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा हो सके।
- **संशोधन:** प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल—प्रत्येक प्रकार के मीडिया के लिए संबंधित अधिनियमों/नियमों/दिशानिर्देशों में फेक न्यूज़ प्रकाशित/प्रसारित करने पर दंडात्मक प्रावधानों में संशोधन की आवश्यकता है।
- **फैक्ट चेकिंग तंत्र:** मीडिया संगठनों में तथ्य-जाँच तंत्र और आंतरिक लोकपाल की व्यवस्था से स्व-नियामक तंत्र की भूमिका सुदृढ़ होगी।
- समिति ने सरकार से आग्रह किया कि गलत सूचना से निपटने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता व व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा के बीच संतुलन बनाए रखते हुए प्रावधान शामिल किए जाएँ।

भारत की दुष्प्रचार चुनौती

- **बढ़ती इंटरनेट पहुँच:** भारत 900 मिलियन इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को पार करने की राह पर है, जिससे उचित नियमों के अभाव में दुष्प्रचार का खतरा बढ़ जाता है।
- **विविध परिदृश्य, उच्च जोखिम:** भारत की राजनीतिक, सामाजिक और भाषाई विविधता हेरफेर किए गए आख्यानों, मतदाता प्रभाव एवं सामाजिक अशांति के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करती है।
- **राजनीति से परे:** दुष्प्रचार उपभोक्ता बहिष्कार, आर्थिक संघर्ष और अंतरराष्ट्रीय तनाव में योगदान देता है।

- **पारंपरिक मीडिया पर भरोसे में गिरावट:** पारंपरिक समाचार स्रोतों पर जनता का विश्वास घट रहा है।
  - नागरिक समाचार के लिए तीव्रता से सोशल मीडिया पर निर्भर हो रहे हैं।
  - अप्रमाणित जानकारी तीव्रता से फैलती है और प्रायः उस पर भरोसा किया जाता है क्योंकि यह मित्रों या परिवार से आती है।
- **युवा वर्ग जोखिम में:** भारत का युवा वर्ग तीव्रता से गलत सूचना के संपर्क में आ रहा है।
  - कई युवाओं में डिजिटल साक्षरता और मीडिया उपभोग कौशल की कमी है।

कानूनी और नियामक परिदृश्य

- **संवैधानिक सीमाएँ:** अनुच्छेद 19(1)(a) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है।
  - अनुच्छेद 19(2) मानहानि, नैतिकता और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए प्रतिबंधों की अनुमति देता है।
  - अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (अनु. 19(1)(a)) और उचित प्रतिबंधों (अनु. 19(2)) के बीच संतुलन बनाना चुनौतीपूर्ण है।
- **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000:** धारा 69A सरकार को सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था संबंधी चिंताओं के लिए ऑनलाइन सामग्री को अवरुद्ध करने की शक्ति देती है।
- **मध्यस्थ दिशानिर्देश एवं डिजिटल मीडिया आचार संहिता, 2021:** सोशल मीडिया, ओटीटी प्लेटफॉर्म और डिजिटल समाचार मीडिया को नियंत्रित करती है।
- **ओटीटी प्लेटफॉर्म द्वारा स्व-नियमन:** नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम जैसे प्लेटफॉर्म *डिजिटल पब्लिशर्स कंटेंट ग्रिवेन्सेस काउंसिल (DPCGC)* जैसे स्व-नियामक ढाँचे का पालन करते हैं।
- **केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC):** जिसे 1952 के सिनेमैटोग्राफ अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था, भारत में फिल्मों को सेंसर करने के लिए जिम्मेदार है।

भारत में डिजिटल सेंसरशिप की चुनौतियाँ

- **अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और नियमन का संतुलन:** अति-नियमन रचनात्मकता को दबा सकता है, जबकि अपर्याप्त नियमन हानिकारक सामग्री फैला सकता है।
- **पारदर्शिता और जवाबदेही:** सामग्री मॉडरेशन और सेंसरशिप निर्णयों में प्रायः स्पष्ट दिशानिर्देशों की कमी होती है, जिससे दुरुपयोग की आशंका बढ़ती है।
- **अधिकार क्षेत्र संबंधी मुद्दे:** कई डिजिटल प्लेटफॉर्म भारत से बाहर संचालित होते हैं, जिससे प्रवर्तन कठिन हो जाता है।
- **प्रौद्योगिकीगत प्रगति:** डिजिटल मीडिया का तीव्र विकास सुसंगत और निष्पक्ष नियमन को जटिल बनाता है।
- **नैतिक चिंताएँ:** अश्लीलता कानूनों की व्यक्तिपरक प्रकृति मनमाने सेंसरशिप की ओर ले जा सकती है।

सरकारी पहल

- **फैक्ट चेक यूनिट:** इसे 2019 में *प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB)* के अंतर्गत स्थापित किया गया था।
  - इसका गठन सरकार से संबंधित "फर्जी, झूठी या भ्रामक ऑनलाइन सामग्री" को चिन्हित करने के लिए किया गया था।
- **सहयोग पोर्टल:** इसे 2024 में *गृह मंत्रालय* द्वारा लॉन्च किया गया।
  - यह पोर्टल मंत्रालयों से लेकर स्थानीय पुलिस थानों तक विभिन्न स्तरों पर सरकारी एजेंसियों के लिए अवरोध आदेश अधिक कुशलता से जारी करने हेतु एक केंद्रीकृत प्रणाली के रूप में कार्य करता है।

भारत में दुष्प्रचार से निपटने के लिए अनुशंसित उपाय (ग्लोबल रिस्क्स रिपोर्ट 2025)

- **तकनीकी क्षमता और निगरानी को सुदृढ़ करना:**
  - एल्गोरिद्म डेवलपर्स को अपस्किल करना ताकि एआई सिस्टम में पक्षपात और हेरफेर कम हो।
  - एआई पर्यवेक्षी बोर्ड और परिषदों की स्थापना करना ताकि जनरेटिव एआई प्रथाओं की निगरानी एवं नियमन हो सके।

- डिजिटल प्लेटफॉर्म, विशेषकर एआई का उपयोग करने वाले, नियमित जोखिम आकलन अनिवार्य करें।

- **जन-जागरूकता और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना:**
  - नागरिकों को दुष्प्रचार पहचानने और उसका प्रतिरोध करने में सहायता हेतु डिजिटल साक्षरता अभियान का विस्तार।
  - शैक्षिक सुधारों और जनसंपर्क के माध्यम से आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देना।
- **बिग टेक प्लेटफॉर्म का नियमन:**
  - फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म के सबसे बड़े बाजार के रूप में भारत की स्थिति का उपयोग कर जवाबदेही सुनिश्चित करना।
- **प्रेस स्वतंत्रता की रक्षा करना:**
  - पत्रकारों और व्हिसलब्लोअर्स को धमकी और डिजिटल उत्पीड़न से बचाने के लिए सुदृढ़ कानून पारित करना।
- **वैश्विक और क्षेत्रीय गठबंधन बनाना:**
  - दुष्प्रचार की वैश्विक प्रकृति का सामना करने हेतु सीमा-पार गठबंधन को बढ़ावा देना।
  - सहयोगियों और अंतरराष्ट्रीय निकायों के साथ सर्वोत्तम प्रथाएँ, खतरे की जानकारी और नियामक ढाँचे साझा करना।

निष्कर्ष

- दुष्प्रचार केवल तकनीकी मुद्दा नहीं है—यह लोकतंत्र, विविधता और सत्य के लिए खतरा है।
- जन-जागरूकता और सुदृढ़ नीतिगत उपायों के बिना, दुष्प्रचार राजनीतिक एवं सामाजिक विभाजन को गहरा करेगा।
- यह प्रवृत्ति सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करती है और लोगों को विश्वसनीय जानकारी पहचानने में सहायता हेतु *मीडिया साक्षरता, आलोचनात्मक सोच और जवाबदेही* को बढ़ावा देने की तत्काल आवश्यकता को दर्शाती है।

Source: TH

अंटार्कटिक ओज़ोन छिद्र 2025 में समय पूर्व बंद

समाचारों में

- अंटार्कटिक ओज़ोन छिद्र, जो अगस्त 2025 में बना था, सामान्य से पूर्व ही बंद हो गया, जिससे रिकॉर्ड वैश्विक ऊष्मीकरण के बीच पुनर्प्राप्ति की आशा जगी।

ओज़ोन छिद्र क्या है?

- यह समतापमंडलीय ओज़ोन परत का मौसमी क्षीणन है, विशेषकर दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में — जिसे सर्वप्रथम 1985 में खोजा गया था।
- ओज़ोन छिद्र तकनीकी रूप से ऐसा "छिद्र" नहीं है जहाँ ओज़ोन बिल्कुल न हो, बल्कि यह अंटार्कटिक के ऊपर समतापमंडल में अत्यधिक क्षीण ओज़ोन का क्षेत्र है।
- यह दक्षिणी गोलार्ध के वसंत (अगस्त–अक्टूबर) की शुरुआत में होता है।

कारण

- **क्लोरोफ्लोरोकार्बन (CFCs), हैलॉन्स और अन्य ओज़ोन-क्षयकारी पदार्थ (ODS):** ये रसायन, जो कभी रेफ्रिजरेशन, एयरोसोल और सॉल्वेंट्स में व्यापक रूप से उपयोग किए जाते थे, समतापमंडल में ओज़ोन अणुओं को तोड़ते हैं।
- **ध्रुवीय समतापमंडलीय बादल (PSCs):** अत्यधिक ठंड में बनने वाले ये बादल रासायनिक प्रतिक्रियाओं को तीव्र करते हैं जो ओज़ोन को नष्ट करते हैं।
- **जलवायु परिवर्तन की अंतःक्रियाएँ:** सतह पर ऊष्मीकरण और समतापमंडल में शीतलन ओज़ोन क्षय चक्रों को प्रभावित कर सकते हैं।

प्रभाव

- **मानव स्वास्थ्य:** पराबैंगनी (UV-B) विकिरण में वृद्धि से त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली का जोखिम बढ़ता है।
- **पारिस्थितिकी तंत्र:** यूवी विकिरण फाइटोप्लांकटन को हानि पहुँचाता है, जो समुद्री खाद्य श्रृंखला का आधार है, और फसल उत्पादन को प्रभावित करता है।

- **जलवायु संबंध:** ओज़ोन क्षय वायुमंडलीय परिसंचरण को बदलता है, जिससे दक्षिणी गोलार्ध में मौसम पैटर्न प्रभावित होते हैं।

उठाए गए कदम

- **मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल (1987):** यह एक ऐतिहासिक वैश्विक संधि है जिसने ओज़ोन-क्षयकारी पदार्थों (ODS) पर प्रतिबंध लगाया और ओज़ोन छिद्र के आकार को कम करने का श्रेय प्राप्त किया।
- **किगाली संशोधन (2016):** इसने हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (HFCs), जो शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैसें हैं, पर नियंत्रण का विस्तार किया।
- **राष्ट्रीय प्रयास:** देशों ने रेफ्रिजरेशन और एयरोसोल में CFCs को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया तथा सुरक्षित विकल्पों को बढ़ावा दिया।

आगे की राह

- ओज़ोन छिद्र की कहानी वैश्विक पर्यावरणीय कार्रवाई की एक दुर्लभ सफल उदाहरण है, जो दर्शाती है कि समन्वित प्रयास पारिस्थितिक क्षति को उलट सकते हैं।
- हालाँकि, पुनर्प्राप्ति अभी भी संवेदनशील है और निरंतर सतर्कता की आवश्यकता है।
- मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का सतत प्रवर्तन, जलवायु नीतियों के साथ संरेखण, और सतत, पर्यावरण-अनुकूल तकनीकों को बढ़ावा देना ओज़ोन परत की रक्षा के लिए आवश्यक है।
- निरंतर वैश्विक सहयोग के साथ, वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि पूर्ण पुनर्प्राप्ति 2060–2070 तक हो सकती है।

Source :DTE

कर्नाटक का घृणास्पद भाषण और घृणा अपराध (निवारण) विधेयक

संदर्भ

- राज्य मंत्रिमंडल ने **कर्नाटक घृणास्पद भाषण और घृणा अपराध (निवारण) विधेयक, 2025** को स्वीकृत दी है, जिसका उद्देश्य घृणास्पद भाषण और घृणा अपराधों के प्रसार, प्रकाशन या प्रचार को प्रभावी ढंग से रोकना है, जो समाज में असामंजस्य एवं घृणा उत्पन्न करते हैं।

विधेयक की प्रमुख विशेषताएँ

- **उद्देश्य और दायरा:** इसका उद्देश्य घृणास्पद भाषण और घृणा अपराधों के प्रसार, प्रकाशन और प्रचार को रोकना है।
  - यह व्यक्तियों, समूहों या संगठनों के विरुद्ध चोट, असामंजस्य, शत्रुता या घृणा उत्पन्न करने वाली गतिविधियों को रोकने का लक्ष्य रखता है।
  - यह व्यक्तियों और संस्थानों दोनों पर लागू होता है।
- **घृणास्पद भाषण** में कोई भी अभिव्यक्ति शामिल है जो बोले या लिखे गए शब्दों, संकेतों, दृश्य प्रस्तुतियों या सार्वजनिक रूप से इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से की जाती है, जिसका उद्देश्य किसी जीवित या मृत व्यक्ति, किसी वर्ग या समूह, या किसी समुदाय के विरुद्ध चोट, असामंजस्य, शत्रुता, घृणा या दुर्भावना की भावना उत्पन्न करना हो, ताकि किसी पूर्वाग्रहपूर्ण हित को साधा जा सके।
- **पूर्वाग्रहपूर्ण हितों** में धर्म, नस्ल, जाति या समुदाय, लिंग, लैंगिक अभिविन्यास, जन्मस्थान, निवास, भाषा, विकलांगता या जनजाति शामिल हैं।
- **घृणा अपराध के लिए दंड:** एक से सात वर्ष तक का कारावास और ₹50,000 का जुर्माना।
  - अपराध संज्ञेय, गैर-जमानती होंगे और प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होंगे।
- **केंद्रीय कानूनों के साथ संरेखण:** विधेयक में *भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023* के प्रावधानों को प्रक्रियात्मक एकरूपता हेतु शामिल किया गया है।
  - राज्य सरकार का नामित अधिकारी किसी सेवा प्रदाता, मध्यस्थ, व्यक्ति या संस्था को अपने डोमेन से, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी शामिल है, घृणा अपराध सामग्री को अवरुद्ध या हटाने का निर्देश देने के लिए अधिकृत होगा।

घृणास्पद भाषण का प्रभाव

- **सामाजिक मुद्दे:** घृणास्पद भाषण समुदायों के बीच विभाजन को तीव्र करता है और लंबे समय से चली आ रही सामाजिक एकता को बाधित करता है।

- बार-बार दोहराए गए घृणास्पद आख्यान भीड़ हिंसा, दंगे और लक्षित हमलों में बदल जाते हैं।

- **संवैधानिक मूल्यों का क्षरण:** घृणास्पद भाषण संविधान में निहित समानता, बंधुत्व और गरिमा के सिद्धांतों को चुनौती देता है।
  - यह धर्मनिरपेक्षता को कमजोर करता है, जो भारत की संवैधानिक नैतिकता का एक प्रमुख स्तंभ है।
- **मनोवैज्ञानिक हानि:** घृणास्पद भाषण का सामना करने वाले व्यक्ति चिंता, आघात और दीर्घकालिक मानसिक तनाव से पीड़ित होते हैं।

संवैधानिक प्रावधान

- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(2) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 19(1)(a)) पर लगाए जा सकने वाले उचित प्रतिबंधों से संबंधित है।
- जिन परिस्थितियों में राज्य भाषण को प्रतिबंधित कर सकता है: राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता, न्यायालय की अवमानना, मानहानि, अपराध के लिए उकसाना।

घृणास्पद भाषण से निपटने के लिए उठाए गए कदम

- **भारतीय दंड संहिता (IPC) / भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023:** धारा 153A, धारा 295A आदि जैसे विशिष्ट प्रावधान समूहों (धर्म, नस्ल, भाषा) के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने, धार्मिक भावनाओं को आहत करने या सार्वजनिक भय/अव्यवस्था को भड़काने को अपराध घोषित करते हैं।
- **जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951:** धारा 123(3), 123(3A): चुनावों के दौरान धर्म, जाति, समुदाय के आधार पर घृणा फैलाने या अपील करने वाले राजनीतिक भाषणों को प्रतिबंधित करते हैं।
- **सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय:**
  - *प्रवासी कल्याण संगठन बनाम भारत संघ (2014)* मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने घृणास्पद भाषण पर विशिष्ट कानून की कमी को स्वीकार किया और संसद को इस मुद्दे पर व्यापक कानून बनाने की सिफारिश की।
  - *अमिश देवगन बनाम भारत संघ (2020)* मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19) और सार्वजनिक व्यवस्था व सामुदायिक सद्भाव बनाए रखने हेतु घृणास्पद भाषण पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता के बीच संतुलन पर विचार किया।

घृणास्पद भाषण से निपटने में चुनौतियाँ

- **तीव्र डिजिटल प्रसार:** सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म घृणास्पद भाषण को तीव्रता से फैलने और बिना तथ्य-जाँच के बड़े दर्शकों तक पहुँचने में सक्षम बनाते हैं।
- **एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग सेवाएँ:** निगरानी और साक्ष्य संग्रह को जटिल बनाती हैं।
- **भावना को सिद्ध करने में कठिनाई:** कई घृणास्पद भाषण अपराधों में *मेंस रिया* (भावना) सिद्ध करना आवश्यक होता है, जो कठिन है।
  - भाषण और उसके बाद की हिंसा के बीच प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करना कानूनी रूप से जटिल है।
- **कानूनी परिभाषा का अभाव:** भारत में घृणास्पद भाषण की सटीक वैधानिक परिभाषा नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप राज्यों में व्यापक व्याख्या और असंगत प्रवर्तन होता है।
  - शत्रुता, अपमान या दुर्भावना जैसे अस्पष्ट शब्द व्यक्तिपरक अनुप्रयोग की ओर ले जाते हैं।

आगे की राह

- घृणास्पद भाषण के प्रति एक सतत प्रतिक्रिया के लिए ऐसा संतुलित ढाँचा आवश्यक है जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए हानि को रोके।
- भारत को घृणास्पद भाषण की एक स्पष्ट और व्यापक कानूनी परिभाषा अपनानी चाहिए ताकि एकरूप एवं वस्तुनिष्ठ प्रवर्तन सुनिश्चित हो सके, साथ ही डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए सुदृढ़ जवाबदेही तंत्र हो जो हानिकारक सामग्री को शीघ्रता से हटा सके।
- ऑनलाइन हानियों के लिए एक स्वतंत्र निगरानी तंत्र, बेहतर डेटा संग्रह और अनुसंधान के साथ मिलकर, साक्ष्य-आधारित हस्तक्षेपों को डिजाइन करने तथा

समानता, गरिमा और सामाजिक एकता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करने में सहायता कर सकता है।

Source: TH

BNHS असम में दो गिद्ध प्रजातियों को पुनः स्थापित करेगा

संदर्भ

- बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी (BNHS) असम में दो गंभीर रूप से संकटग्रस्त गिद्ध प्रजातियों — *स्लेंडर-बिल्ड वल्चर (जिप्स टेनुइरोस्ट्रिस)* और *व्हाइट-रम्प्ड वल्चर (जिप्स बेंगालेंसिस)* — को पुनः स्थापित करने जा रही है।

गिद्ध

- गिद्ध 22 प्रजातियों में से एक हैं, जो बड़े आकार के मृतभक्षी पक्षी हैं और मुख्यतः उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं।
- भारत में गिद्धों की नौ प्रजातियाँ पाई जाती हैं: ओरिएंटल व्हाइट-बैक्ड, लॉन्ग-बिल्ड, स्लेंडर-बिल्ड, हिमालयन, रेड-हेडेड, इजिप्शियन, बीयर्डेड, सिनेरियस और यूरेशियन ग्रिफॉन।

गिद्धों का महत्व

- गिद्ध प्रकृति के *क्लीन-अप क्रू* के रूप में कार्य करते हैं। वे संक्रमित शवों को खाते हैं जिससे रोगजनक नष्ट होते हैं और संक्रमण की श्रृंखला टूट जाती है।
- पारसी समुदाय के लिए गिद्ध अत्यंत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे अपने मृतकों को *टावर्स ऑफ साइलेंस* पर रखते हैं ताकि गिद्ध उन्हें खा सकें।

प्रमुख खतरे

- विषैले *नॉन-स्टेरॉइडल एंटी-इंफ्लेमेटरी ड्रग्स (NSAIDs)* जैसे डाइक्लोफेनाक का उपयोग, घोंसले वाले पेड़ों की कमी, विद्युत की लाइनों से करंट लगना, भोजन की कमी और दूषित भोजन, कीटनाशक विषाक्तता आदि पूरे देश में गिद्धों को खतरे में डालते हैं।
- BNHS पशु चिकित्सकों को गिद्ध-सुरक्षित विकल्प जैसे *मेलॉक्सिकैम* और *टॉल्फेनामिक एसिड* उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है।
- भारत में तीन प्रजातियों — ओरिएंटल व्हाइट-बैक्ड वल्चर, लॉन्ग-बिल्ड वल्चर और स्लेंडर-बिल्ड वल्चर — की 99 प्रतिशत जनसंख्या समाप्त हो गई है।

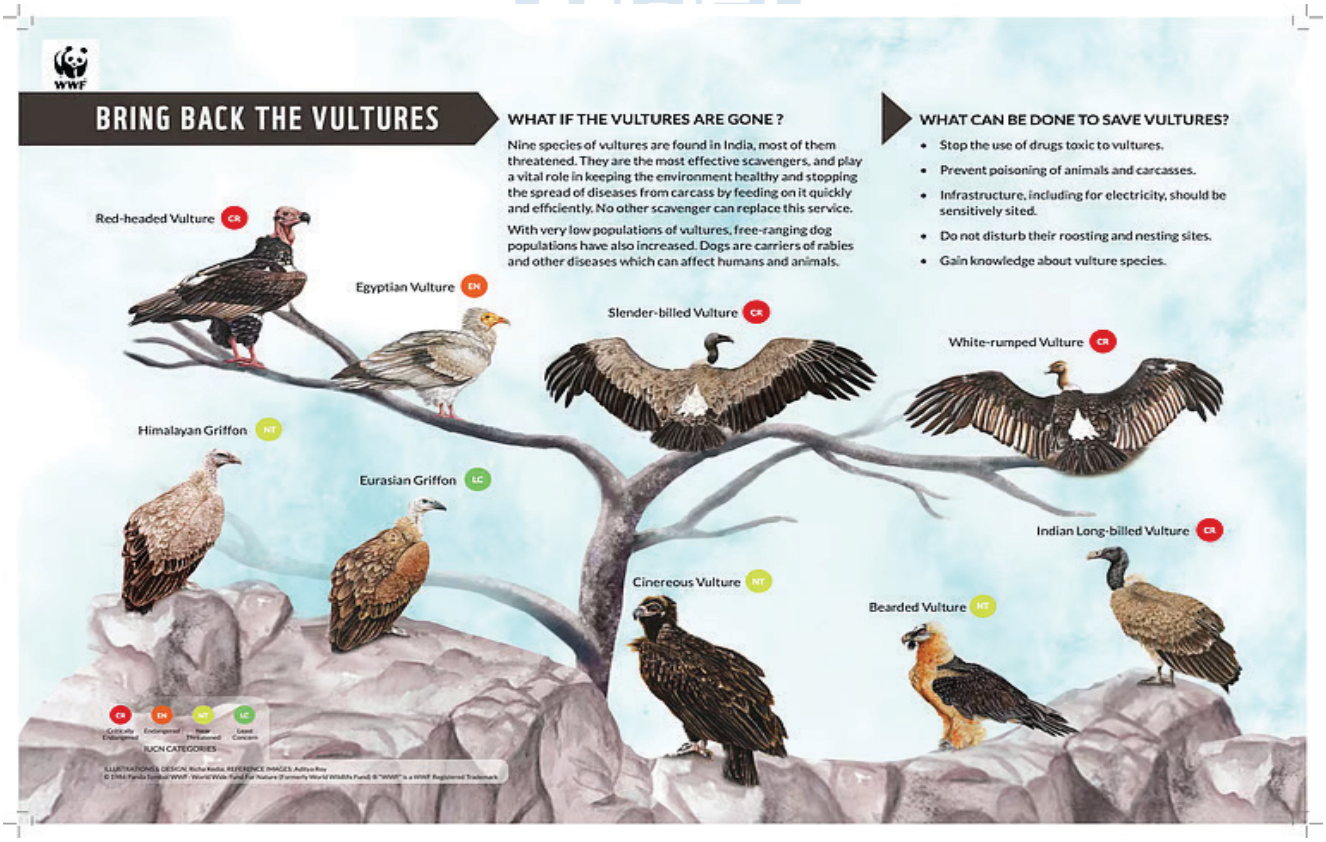

संरक्षण स्थिति

- **वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची-1:** बीयर्डेड, लॉन्ग-बिल्ड, स्लेंडर-बिल्ड, ओरिएंटल व्हाइट-बैक्ड।
  - शेष प्रजातियाँ 'अनुसूची-IV' के अंतर्गत संरक्षित हैं।
- **IUCN रेड लिस्ट:**
  - **गंभीर संकटग्रस्त (Critically Endangered):** ओरिएंटल व्हाइट-बैक्ड वल्चर, लॉन्ग-बिल्ड वल्चर, स्लेंडर-बिल्ड वल्चर और रेड-हेडेड वल्चर।
  - **संकटग्रस्त (Endangered):** इजिप्शियन वल्चर।
  - **कम चिंता (Least Concerned):** यूरेशियन ग्रिफॉन।
  - **निकट संकटग्रस्त (Near Threatened):** हिमालयन, बीयर्डेड और सिनेरियस।

बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी (BNHS)

- BNHS भारत की सबसे बड़ी और सबसे प्राचीन गैर-सरकारी संगठनों में से एक है, जो प्रकृति संरक्षण एवं जैव विविधता अनुसंधान के लिए समर्पित है।
- इसकी स्थापना 15 सितंबर 1883 को मुंबई में हुई थी।
- इसका मिशन अनुसंधान, शिक्षा और जन-जागरूकता पर आधारित कार्यवाही के माध्यम से प्रकृति का संरक्षण करना है।

Source: TW

संक्षिप्त समाचार

महाड सत्याग्रह

समाचारों में

- महाड़ भारत के प्रथम मानवाधिकार आंदोलनों में से एक का जन्मस्थान है, जिसकी शुरुआत डॉ. भीमराव अंबेडकर ने की थी।

महाड़ सत्याग्रह (1927)

- महाड़ सत्याग्रह डॉ. भीमराव अंबेडकर द्वारा 20 मार्च 1927 को *छावदार तालाब, महाड़ (महाराष्ट्र)* में शुरू किया गया था। यह दलितों का प्रथम बड़ा नागरिक अधिकार आंदोलन था।
- इसका उद्देश्य अछूतों को सार्वजनिक पेयजल तक पहुँच का अधिकार दिलाना था, जिसे जातिगत भेदभाव के कारण उनसे वंचित किया गया था।
- अंबेडकर ने अपने प्रमुख सहयोगियों जैसे आनंदराव चित्रे, बापू सहस्त्रबुद्धे, संभाजी गायकवाड़ और रामचंद्र मोरे के साथ हजारों लोगों का नेतृत्व किया तथा सार्वजनिक तालाब से जल पिया। इसने यह दावा किया कि आवश्यक संसाधनों पर ऊँची जातियों का एकाधिकार नहीं हो सकता।
- इस आंदोलन ने एक सशक्त वैचारिक संदेश दिया कि जल एक *मौलिक मानव अधिकार* है, न कि जातिगत विशेषाधिकार, और इसने अस्पृश्यता में निहित सामाजिक बहिष्कार को चुनौती दी।
- 25 दिसंबर 1927 को अंबेडकर ने सार्वजनिक रूप से *मनुस्मृति* को जलाया, जो जाति-आधारित पदानुक्रम को प्रतीकात्मक रूप से अस्वीकार करने का कार्य था।
- 1937 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह पुष्टि की कि तालाब सार्वजनिक है, जिससे सत्याग्रह को वैधता मिली।

Source: TH

तुर्किये का "स्टोन हिल्स" प्रोजेक्ट

संदर्भ

- तुर्किये की दक्षिण-पूर्वी पहाड़ियों पर हाल की पुरातात्विक खोजों ने 11,000 वर्ष पूर्व के जीवन का खुलासा किया है, जब प्रारंभिक स्थायी समुदायों का उदय हो रहा था।

परिचय

- ये खोजें "स्टोन हिल्स" परियोजना (2020 में शुरू) का भाग हैं, जो *सानलिउरफ़ा प्रांत* के 12 स्थलों को कवर करती है — जिसे विश्व की नवपाषाण राजधानी कहा जाता है।
  - इसमें *गोबेकली तेपे* शामिल है, जो एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और ऊपरी मेसोपोटामिया की सबसे प्राचीन ज्ञात मेगालिथिक संरचनाएँ हैं।

- भारत में नवपाषाणकालीन बस्तियाँ उत्तर-पश्चिमी भाग (जैसे कश्मीर), दक्षिणी भाग (कर्नाटक, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश), उत्तर-पूर्व (मेघालय), और पूर्वी भाग (बिहार एवं ओडिशा) में पाई गई हैं।
  - कुछ महत्वपूर्ण नवपाषाणकालीन बस्तियाँ हैं: *बुरज़होम (कश्मीर), गुफक्राल (कश्मीर), चिरांद (बिहार), और उटनूर (आंध्र प्रदेश)*।

पाषाण युग

- यह एक प्रागैतिहासिक काल है, जो पत्थर के औजारों के उपयोग से चिह्नित है और इसे तीन प्रमुख अवधियों में विभाजित किया गया है: **पुरापाषाण, मध्यपाषाण एवं नवपाषाण।**
- **पुरापाषाण युग :**
  - इसे *पुराना पाषाण युग* भी कहा जाता है।
  - लगभग 26 लाख वर्ष पूर्व शुरू हुआ और लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक चला।
  - इस काल में मानव शिकारी-संग्राहक थे, जो शिकार, मांस काटने और भोजन प्रसंस्करण के लिए पत्थर के औजारों का उपयोग करते थे।
- **मध्यपाषाण युग :**
  - लगभग 10,000 ईसा पूर्व से 5,000 ईसा पूर्व तक (क्षेत्र के अनुसार भिन्न)।
  - इस काल की विशेषता थी विशेषीकृत औजारों का उपयोग, पर्यावरणीय अनुकूलन और पौधों व जानवरों का प्रारंभिक पालन-पोषण।
- **नवपाषाण युग :**
  - लगभग 12,000 वर्ष पूर्व शुरू हुआ और 4500 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के बीच समाप्त हुआ।
  - इस काल की विशेषता थी कृषि को अपनाना, पशुओं का पालन-पोषण और स्थायी समुदायों का गठन।
  - इससे मिट्टी के बर्तन, बुनाई और जटिल सामाजिक संरचनाओं का विकास हुआ।
  - कृषि ने मानव समाजों में क्रांति ला दी और सभ्यताओं के उदय का मार्ग प्रशस्त किया।

Source: TH

RELOS समझौता

समाचारों में

- रूस की संसद के निम्न सदन ने भारत के साथ **पारस्परिक लॉजिस्टिक समर्थन (Relos) समझौते** को स्वीकृति दे दी है।
  - Relos उन लॉजिस्टिक समझौतों के समान है जो भारत ने अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया एवं वियतनाम जैसे देशों के साथ किए हैं।

भारत–रूस पारस्परिक लॉजिस्टिक समर्थन (Relos) समझौता

- यह एक द्विपक्षीय सैन्य लॉजिस्टिक संधि है, जो दोनों देशों के सैन्य विमानों, जहाज़ों और कर्मियों को एक-दूसरे के ठिकानों का उपयोग ईंधन भरने, रखरखाव, स्पेयर पार्ट्स, प्रशिक्षण, संयुक्त अभ्यास, मानवीय मिशन एवं आपदा राहत के लिए करने की अनुमति देती है।
- यह लॉजिस्टिक प्रक्रियाओं को सरल बनाता है, कागजी कार्रवाई को कम करता है, तीव्र समर्थन सुनिश्चित करता है और लागत का क्रमिक निपटान संभव बनाता है।
- यह दोनों देशों को एक-दूसरे के वायुक्षेत्र और बंदरगाहों तक पारस्परिक पहुँच भी प्रदान करता है, जिससे भारत को *उत्तरी समुद्री मार्ग* के साथ आर्कटिक क्षेत्र में रणनीतिक प्रवेश मिलेगा, जहाँ रूस की व्यापक सैन्य उपस्थिति है।
- रूस के लिए, Relos भारतीय महासागर की सुविधाओं तक पहुँच प्रदान करता है, जिससे वह पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद वैश्विक पहुँच बनाए रख सकता है और एशिया में बिना महंगे विदेशी ठिकानों के शक्ति प्रदर्शन कर सकता है।

Source :TOI

डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एवं यूनिक वर्चुअल एड्रेस (DHRUVA)

संदर्भ

- **संचार मंत्रालय** के अंतर्गत डाक विभाग (DoP) ने **डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एवं यूनिक वर्चुअल एड्रेस(DHRUVA)** का प्रस्ताव रखा है, जो भारत

के लिए एक *अंतरसंचालनीय, मानकीकृत और उपयोगकर्ता-केंद्रित डिजिटल पता प्रणाली* होगी।

DHRUVA क्या है?

- यह एक राष्ट्रीय ढाँचा है जो *UPI जैसे वर्चुअल पता लेबल* (जैसे "name@entity") बनाने की सुविधा देगा, जो भौतिक स्थानों के *प्रॉक्सी* के रूप में कार्य करेंगे।
- यह प्रणाली *डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर* पहलों का हिस्सा है और इसमें निजी कंपनियों को भाग लेने की अनुमति होगी।
- इसके मूल में एड्रेस-एज़-ए-सर्विस (AaaS) का कॉन्सेप्ट है - जो लोकेशन की जानकारी को सुरक्षित और सहमति से शेयर करने में सहायता करने के लिए एड्रेस डेटा मैनेजमेंट से जुड़ी सर्विसेज़ का एक ग्रुप है।

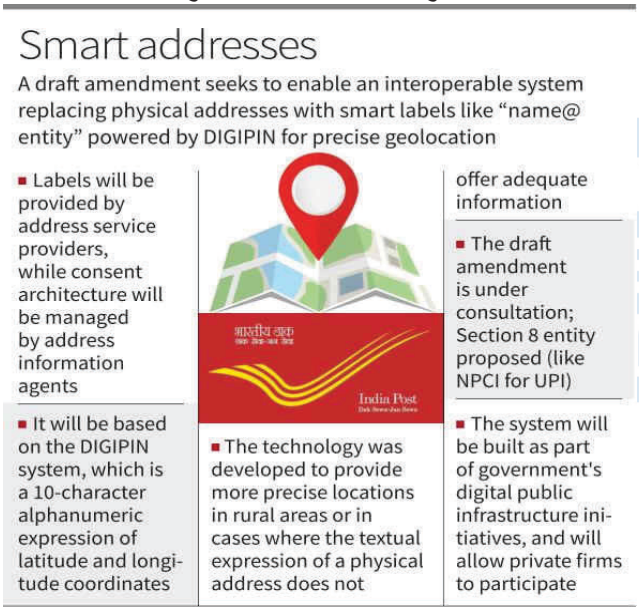

Source: TH

कुष्ठ रोग

संदर्भ

- सर्वोच्च न्यायालय ने **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC)** को कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्तियों के विरुद्ध भेदभाव को दूर करने का निर्देश दिया है।

भारत में कुष्ठ रोग

- भारत विश्वभर में लगभग **57% कुष्ठ रोग मामलों** की रिपोर्ट करता है, जहाँ *आनुवंशिक प्रवृत्ति* और *अस्वच्छ परिस्थितियों* में रहना संवेदनशीलता को बढ़ाता है।
- भारत के पाँच राज्य जहाँ कुष्ठ रोग की सर्वाधिक व्यापकता है: **बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और ओडिशा।**
- केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2023 में **राष्ट्रीय रणनीतिक योजना (NSP) और कुष्ठ रोग हेतु रोडमैप (2023-27)** शुरू किया, जिसका लक्ष्य 2027 तक कुष्ठ रोग का शून्य प्रसारण प्राप्त करना है।
- **सतत विकास लक्ष्य (SDG) 3.3** का उद्देश्य 2030 तक कुष्ठ रोग का अंत करना है।

क्या आप जानते हैं?

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने 2024 में **जॉर्डन** को विश्व का प्रथम देश घोषित किया जिसने कुष्ठ रोग को समाप्त कर दिया।

कुष्ठ रोग

- कुष्ठ रोग को **हैंसेन रोग** भी कहा जाता है। यह एक *दीर्घकालिक संक्रामक रोग* है, जो *माइकोबैक्टीरियम लेप्रे* नामक जीवाणु से होता है।
- यह रोग सभी आयु वर्गों में पाया जाता है — *प्रारंभिक बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक।*
- **लक्षण:**
  - यह रोग मुख्यतः *त्वचा और परिधीय नसों* को प्रभावित करता है।
  - प्रभावित क्षेत्रों में *संवेदना का लोप* हो जाता है।
  - यदि उपचार न किया जाए तो यह रोग *क्रमिक और स्थायी विकलांगता* का कारण बन सकता है।
- **संक्रमण:**
  - यह रोग *नाक और मुँह से निकलने वाली बूंदों* के माध्यम से फैलता है।
  - यह रोग किसी संक्रमित व्यक्ति के *साधारण संपर्क* से नहीं फैलता।
- **उपचार:**
  - कुष्ठ रोग *बहु-औषधि चिकित्सा (MDT)* के माध्यम से *पूरी तरह से उपचार योग्य* है।

Source: TH

श्वसन योग्य सूक्ष्मप्लास्टिक (iMPs)

समाचारों में

- हाल ही के एक अध्ययन ने प्रमुख भारतीय बाज़ारों की वायु में **श्वसन योग्य सूक्ष्मप्लास्टिक (iMPs)** की मौजूदगी का खुलासा किया है, जिससे इन्हें PM2.5 और PM10 के समान एक नई श्रेणी के प्रदूषक के रूप में चिन्हित किया गया है।

श्वसन योग्य सूक्ष्मप्लास्टिक (iMPs)

- ये प्लास्टिक कण **10 माइक्रोमीटर (माइक्रॉन) से छोटे** होते हैं, जबकि सामान्य सूक्ष्मप्लास्टिक 5 मिलीमीटर से छोटे होते हैं। इस कारण ये नाक के माध्यम से मानव फेफड़ों में प्रवेश कर सकते हैं।
- अध्ययन में पाया गया कि **कोलकाता और दिल्ली** में इनकी सबसे अधिक सांद्रता है, जहाँ iMPs शहरी कणीय पदार्थ का लगभग **5% तक योगदान** करते हैं। इनका प्रमुख स्रोत है *कृत्रिम कपड़े, पैकेजिंग, टायर का घिसाव और जूते-चप्पल।*
- श्वसन योग्य सूक्ष्मप्लास्टिक (iMPs) फेफड़ों की गहराई तक प्रवेश कर सकते हैं, रक्त प्रवाह में जा सकते हैं और *डाइएथिल फ़्थेलेट* जैसे विषैले रसायन, *सीसा* जैसे भारी धातु तथा *एंटीबायोटिक-प्रतिरोधी जीवाणु* सहित रोगजनक सूक्ष्मजीवों के वाहक के रूप में कार्य कर सकते हैं।
- इसके परिणामस्वरूप *कैंसर, श्वसन संबंधी रोग, हार्मोनल असंतुलन और तंत्रिका संबंधी विकारों* का जोखिम उत्पन्न होता है।

Source :DTE

लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क

समाचारों में

- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने विदेशी बैंकों के लिए **लार्ज एक्सपोज़र फ्रेमवर्क (LEF नियम)** को कड़ा कर दिया है, जिसके अंतर्गत:
  - उनके अपने मुख्यालय या विदेशी शाखाओं के प्रति एक्सपोज़र को सख्ती से सीमित किया गया है।
  - सभी विदेशी-संबंधित एक्सपोज़र को LEF के अंतर्गत गिना जाएगा।

लार्ज एक्सपोज़र फ्रेमवर्क (LEF) क्या है?

- **लार्ज एक्सपोज़र फ्रेमवर्क (LEF)** RBI का एक नियम है, जो बैंकों को किसी एकल उधारकर्ता या आपस में जुड़े उधारकर्ताओं के समूह को अत्यधिक धनराशि या एक्सपोज़र देने से रोकता है।
- कई बार बैंक बड़ी कंपनियों को भारी मात्रा में ऋण देते हैं। यदि वह कंपनी चूक करती है, तो बैंक को भारी हानि का सामना करना पड़ सकता है। LEF इस जोखिम को सीमित करता है, यह तय करके कि अधिकतम कितना एक्सपोज़र दिया जा सकता है।
- सामान्यतः, किसी बैंक का एकल उधारकर्ता के प्रति एक्सपोज़र उसकी पात्र पूंजी आधार (Tier-1 capital) का **20% से अधिक नहीं** होना चाहिए, हालांकि कुछ मामलों में अतिरिक्त **5% का प्रावधान** दिया जा सकता है।
- आपस में जुड़े उधारकर्ताओं (connected counterparties) के समूह के प्रति एक्सपोज़र पूंजी आधार का **25% से अधिक नहीं** होना चाहिए।

Source: PIB

भारत में आक्रामक विदेशी पौधे

समाचारों में

- **आक्रामक विदेशी पौधे** भारत के पारिस्थितिक तंत्र को तीव्रता से बदल रहे हैं। पश्चिमी घाट, हिमालय और उत्तर-पूर्व जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में इनकी सीमा लगभग दोगुनी हो गई है, जिसका कारण है *जलवायु परिवर्तन, भूमि उपयोग में बदलाव एवं जैव विविधता की हानि।*

विवरण

- **आक्रामक विदेशी प्रजातियाँ** वे पौधे, जानवर, रोगजनक और अन्य जीव होते हैं जो किसी पारिस्थितिकी तंत्र के मूल निवासी नहीं होते और आर्थिक या पर्यावरणीय हानि पहुँचा सकते हैं या मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं।
- हालिया अध्ययन चेतावनी देता है कि 2022 तक **144 मिलियन लोग, 2.79 मिलियन पशुधन और**

200,000 वर्ग किलोमीटर कृषि भूमि नई आक्रामक प्रजातियों के खतरे में होगी।

- *लैंटाना कैमारा, क्रोमोलिना ओडोराटा और प्रोसोपिस जुलिफ्लोरा* जैसी प्रजातियाँ परिदृश्य पर हावी हो रही हैं।
- इनमें से **क्रोमोलिना** सबसे तीव्रता से फैल रही है, जबकि **प्रोसोपिस** ने शुष्क क्षेत्रों में देशी वनस्पतियों को विस्थापित कर दिया है। कई प्रजातियाँ अब हिमालय और आर्द्र सदाबहार वनों में भी फैल रही हैं।

पर्यावरणीय प्रभाव

- आक्रामक प्रजातियाँ *आग के पैटर्न, मृदा की आर्द्रता और देशी वनस्पतियों* को बदल देती हैं।
- आर्द्र-जीवमंडल आक्रामक प्रजातियाँ *बढ़ते तापमान और बार-बार लगने वाली आग* में विकसित होती हैं, जबकि शुष्क-जीवमंडल आक्रामक प्रजातियाँ *अधिक वर्षा एवं कम आग* से लाभान्वित होती हैं।
- संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र एक पीढ़ी के अंदर देशी से आक्रामक प्रभुत्व में बदल सकता है।
- संवेदनशील क्षेत्र हैं: **शिवालिक-तराई बेल्ट, डुआर्स, अरावली पर्वतमाला, दंडकारण्य वन और नीलगिरी क्षेत्र।**

सामाजिक-आर्थिक प्रभाव

- आक्रामक प्रजातियों का प्रसार *चारा, ईंधन लकड़ी, मृदा की उर्वरता और चरागाह व जल तक पहुँच* को कम कर देता है, जिससे ग्रामीण एवं पशुपालक समुदायों को पलायन करना पड़ता है या लंबी दूरी तय करनी पड़ती है।
- भारत में 1960 से 2020 के बीच आक्रामक प्रजातियों से होने वाली आर्थिक हानि का अनुमान **127.3 बिलियन डॉलर** लगाया गया है।
- आक्रामक पौधे स्वास्थ्य जोखिम भी उत्पन्न करते हैं, जिनमें *श्वसन संबंधी समस्याएँ* शामिल हैं।

सिफारिशें

- भारत में वर्तमान में आक्रामक प्रजातियों के प्रबंधन के लिए कोई राष्ट्रीय तंत्र या डेटाबेस नहीं है।
- इसलिए शोधकर्ताओं ने **राष्ट्रीय आक्रामक प्रजाति मिशन** बनाने की सिफारिश की है, जो *निगरानी, प्रबंधन, संगरोध और वित्तपोषण* को एकीकृत करेगा।
- नियंत्रण प्रयासों को *जलवायु अनुकूलन, गरीबी उन्मूलन और पारिस्थितिक पुनर्स्थापन* से जोड़ा जाना चाहिए।

Source :DTE

विश्व मृदा दिवस

संदर्भ

- विश्व मृदा दिवस प्रतिवर्ष 5 दिसंबर को मनाया जाता है, ताकि स्वस्थ मृदा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके और सतत प्रबंधन का समर्थन किया जा सके।

विश्व मृदा दिवस के बारे में

- इस पहल को FAO और संयुक्त राष्ट्र महासभा का समर्थन प्राप्त है, जिसकी शुरुआत *इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सॉइल साइंसेज़ (IUSS)* के 2002 के प्रस्ताव से हुई थी।
- FAO सम्मेलन ने 2013 में सर्वसम्मति से विश्व मृदा दिवस का समर्थन किया और इसके आधिकारिक अंगीकरण का अनुरोध 68वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा से किया।
- दिसंबर 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रतिक्रिया देते हुए 5 दिसंबर 2014 को पहला आधिकारिक विश्व मृदा दिवस घोषित किया।
- विश्व मृदा दिवस 2025 का विषय: *"स्वस्थ शहरों के लिए स्वस्थ मृदा"*।

मृदा संरक्षण के लिए पहल

- **मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना:** यह किसानों को मृदा के पोषक तत्वों की स्थिति की रिपोर्ट प्रदान करती है, जिससे संतुलित उर्वरक उपयोग को प्रोत्साहन मिलता है और उत्पादकता बढ़ती है।
- **जैविक खेती को बढ़ावा:** *परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY)* जैसी पहलें मृदा के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए जैविक खेती की प्रथाओं को प्रोत्साहित करती हैं।

- **वैश्विक पहल**
  - **ग्लोबल सॉइल पार्टनरशिप (GSP):** यह FAO द्वारा संचालित पहल है, जिसका उद्देश्य वैश्विक मृदा शासन में सुधार करना और सतत मृदा प्रबंधन को बढ़ावा देना है।
  - **संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम संधि (UNCCD):** यह भूमि क्षरण को रोकने और वैश्विक स्तर पर सतत भूमि प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए कार्य करती है। इसका लक्ष्य 2030 तक *भूमि क्षरण तटस्थता (LDN)* प्राप्त करना है।

Source: TH

कूनो राष्ट्रीय उद्यान (KNP)

संदर्भ

- **अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस (4 दिसंबर)** पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तीन चीतों को कुनो राष्ट्रीय उद्यान में जंगल में छोड़ा।

कुनो के बारे में

- यह मध्य भारत में मध्य प्रदेश के **श्योपुर ज़िले** में स्थित है।
- इसका नाम **कुनो नदी** पर रखा गया है, जो चंबल की एक स्थायी सहायक नदी है और उद्यान से होकर प्रवाहित होती है।
- इसे 1981 में **कुनो वन्यजीव अभयारण्य** घोषित किया गया था; इसे **कुनो पालपुर** भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ 7वीं शताब्दी का पालपुर किला है, जो सिंधिया शासकों से जुड़ा है।
- 2018 में इसे **राष्ट्रीय उद्यान** का दर्जा दिया गया।
- वन प्रकार: **उत्तरी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन**, जिसमें करधई, खैर, धावा, सालई और सवाना वुडलैंड शामिल हैं।

क्या आप जानते हैं?

- सर्वोच्च न्यायालय के 2013 के आदेश के बारह वर्ष बाद भी, जिसमें कुछ **एशियाई शेरों** को गुजरात से मध्य प्रदेश के कुनो में उनके दूसरे आवास के रूप में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया गया था, यह स्थानांतरण अब तक साकार नहीं हो पाया है।

Source: TH

■■■■